रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 317] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 1971/ज्येष्ठ 7, 1863

No. 317] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 1971/JYAISTHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 28th May 1971

S.O. 2167.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 33 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that the deduction in respect of development rebate under section 33 of the said Act shall not be allowed in respect of a ship acquired or machinery or plant installed after the 31st day of May, 1974.

[No. 159/F. No. 15/FB/71 (TPL.).]

R. N. MUTTOO, Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व एवम् बीमा विभाग)

अधिसूचना

आयकर

नई दिल्ली, 28 मई, 1971

एस० ओ० 2167.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), की धारा 33 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 33 के अधीन विकास रिबेट, 1974 की मई के 31वें दिन के पश्चात् अर्जित पोत या प्रतिष्ठापित मशीन या संयंत्र की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

[सं० 159/फा०सं० 15/एफ०बी०/71/टी०पी०एल०]

आर०एन० मुट्टू, अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971